श्रीमती मोहसिना किदवई : उप-सभापति जी, यह जो जगन्नाथ जी ने सुझाव दिया है, इसमें यह सब मानते हैं कि 6,000/- रुपये की रकम बहुत कम होती है, लेकिन इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, चाहते तो बहुत हैं। ...(व्यवधान)... नहीं, बनाते है, रहते हैं, जो अफोर्ड करते हैं, वह बनाते हैं। आपने जो सुझाव दिया है, इसको देखेंगे।

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: Madam, the hon. Minister was talking about the weaker sections also. There is a statutory provision in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They are appointed in Class I and II services, I have been approaehed by many of them that they have not been allotted houses. Because of an inferiority com-lex, they are not able to approach the officers concerned. That is why I suggest that *there* should be reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of allotment of houses.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Madam, the hon. Member is talking about built-up houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Here I would like to point out that the schemes are formulated by the State Governments. From HUDCO side, which is the existing financial institution in this regard, 55 per cent of the loans is meant for the weaker sections; 25 per cent for SC/ST people and 30 per cent for other weaker sections. The State Government sent the schemes and after these schemes are sanctioned, I think, they will be giving the houses to these sections of the people.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: I do not mean the State Governments.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Then?

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: Delhi is the Capital of the country. Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are appointed in Class I and II services. But up till now, they have not been allotted any house in spite of their prayer... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is not relevant.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: I would like to know whether there will be a provision for reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of allotment of houses.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are asking about the allotment of houses. Thw question is about the guidelines.

श्री धरनीधर बासुमतारी : गाइड-लाइन्स पर डिसकशन कर सकते हैं न?

उपसभापति : आप बाद में मिल लीजिएगा मिनिस्टर साहिबा से।

गांवों में पेय जल की आपूर्ति

*183. श्री राम नरेश यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987 के वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने गांवों में पानी की कमी थी ;

(ख) इन गांवों में पेयजल कब तक मुहैया करा दिए जाने का विचार है और क्या सरकार सूखे के कारण भूमि जल म कमी की गंभीरता को देखते हुए ऐसे गांवों की सूची में संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1987 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पानी की कमी वाले गांवों की संख्या का मूल्यांकन केन्द्रीय दलों द्वारा संबंधित राज्यों के दौरे के दौरान किया गया था और उन से चर्चा भी की गई थी। इन दलों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 38595 गांव प्रभावित पाए गए थे। राज्य वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक अनुपत्र संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) सूखा से प्रभावित राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रभावित गांवों में टैंकरों के जरिये जल की ढुलाई करके, पाइप द्वारा जल सप्लाई योजनाओं का विस्तार/वृद्धि और उन्हें चालू करके, हैंड पम्पों आदि की स्थापना करके पेय जल पहले ही उपलब्ध कराया जा रहा है। 1987 के दौरान सूखे से प्रभावित गांवों की सूची को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त नहीं हुआ है।

समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की समस्या का राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के सामान्य योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत एक स्थायी आधार पर समाधान किया जाता है। 1988-89 और 1989-90 में अर्थात् सातवीं योजना के अन्त तक सभी शेष समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कवर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। राज्यों को इस आशय की भी हिदायतें जारी की गई हैं कि सूखा राहत कार्यों को, जहां तक संभव हो सके, स्वच्छ पेयजल की सतत् आधार पर सप्लाई हेतु चल रही योजना स्कीमों के साथ जोडा जाना चाहिए।

अनुपत्र

क्रमांक	राज्य	केन्द्रीय दलों द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रभावित गांवों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3000
2.	गुजरात	3400
3.	हरियाणा	625
4.	हिमाचल प्रदेश	450
5.	जम्मू और कश्मीर	100
6.	कर्नाटक	2616
7.	केरल	180
8.	मध्य प्रदेश	6000
9.	महाराष्ट्र	2563
10.	नागालैंड	100
11.	उड़ीसा	1071
12.	पंजाब	420
13.	राजस्थान	6570
14.	तमिलनाडु	5500
15.	उत्तर प्रदेश	6000
	योग :	38595

श्री राम नरेश यादव : उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं दिया है और न ही जो ग्रामीण पेय-जल समस्या है, उसको गंभीरता से लिया है। इस समय 5 लाख 76 हजार गांवों में करीब एक-तिहाई गांव पानी के अभाव में तरस रहे हैं। हमने सवाल यह पूछा था कि क्या सरकार सूखे की विषम स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जब कि पेय-जल का स्तर 80 से 90 फीट नीचे चला गया है, इसका कोई सर्वे कराएगी ? दूसरी बात यह है कि सर्वे कराकर इसको कब पूरा करेगी।

उसके साथ-साथ तीसरा सवाल यह है कि सचमुच में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनकी पेय जल की समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कर रही है ? उनमें जो आज भेद भाव किया जा रहा है, उसको दूर करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदया, इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दीजिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You give a notice. We will Bee.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

देश में पांच तारा होटलों का खोला जाना

*184. श्री संतोष बागड़ोदिया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान सरकार किन-किन स्थानों पर पांच तारा और विलासमय होटलों को खोलने का विचार रखती है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक होटल पर व्यय की जाने वाली अनुमानित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) अशोक ग्रुप के होटलों की श्रृंखला में अप्राप्त कड़ी को पूरा करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम का भूमि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, बंबई में एक 5-स्टार होटल परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

Demand of Aid by Andhra Pradesh for Rice Production

*185. SHRIMATI RENUKA CHOWDHUARY:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will th© Minister of AGRICULTURE be pieased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Andhra Pradesh have recently approached the Central Government for an aid of Rs. 80 crores to raise the production of rice, in that state; and

(b) if so, whether the demand has since been considered by the Central Government and if so. the decision taken thereon?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) and (b) The Union Government have formulated a Special Foodgrains Production Programme in consultation with 14 States and Andhra Pradesh is one of them. According a mutually agreed Special Foodgrains Production Programme, with rice as the focus c*op in 8 selected districts viz; East Godavari, Chittoor, Nalgonda, Khammam, Karimnagar; Nellore; Warrangal and West Godavari, is being implemented in Andhra Pradesh during 1988-89 with' a proposed Central assistance of Rs. 4.61 crore for increasing the production of rice.

In addition, for creating assured irrigation facilities, it is proposed to provide Rs. 6.21 crore for shallow tube-wells/dug-wells in these 8 selected districts. Under the Million wells programme for SC & ST small and marginal farmers an amount of Rs. 49.47 crore has been provided *f*™ Andhra Pradesh,

Expansion of the capacity of the Vanaspati plant, Khanna, Punjab

*186. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL. SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the Punjab State Marketing Federation have recently applied for a licence to expand the capacity of the Vanaspati Plant at Khanna from 50 MT capacity to 100 MT and also for an additional licence of lOO MT per day; and